

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल  
क्रमांक/एफ-5/1161/2022/10-11/1951

भोपाल, दिनांक 8-4-24

प्रेषक :-

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं  
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,  
लिंक रोड़ नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- खरगोन जिले के बड़वाह वन मण्डल में इन्दौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव  
सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौड़ीकरण हेतु 3.20 हेक्टेयर वनभूमि (पूर्व में  
आवेदित 4.138 हे.) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग  
पर देने बाबत। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/Road/152561/2022)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPB 031/2022 BHO दिनांक 06.04.2024

----0----


कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।  
संदर्भित पत्र के द्वारा प्रकरण में हुए उल्लंघन के संबंध में जानकारी चाही गई है।

प्रकरण में चाही गई जानकारी कार्यालयीन पत्र क्रमांक/एफ-5/1161/2022/  
10-11/1860 दिनांक 31.03.2024 से भारत सरकार को प्रेषित की गई है, त्वरित संदर्भ हेतु  
छायाप्रति संलग्न है।

अतः प्रकरण में चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है, कृपया सैद्धांतिक स्वीकृति  
जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(एच.एस. मोहन्ता)


पृ. क्रमांक/एफ-5/1161/2022/10-11/1952

भोपाल, दिनांक 8-4-24

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) खण्डवा वृत्त, खण्डवा, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, बड़वाह/खण्डवा, मध्यप्रदेश।
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन  
इकाई, खण्डवा, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल